



119

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 17

PBR/निगरानी/इंदौर/भू-21/2017/191 प्रस्तुति दिनांक 21/06/2017

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड, ग्वालियर केम्प, इन्दौर के सचक्ष

केशर सिंह पिता मुकुन्द सिंह ठाकुर,
निवासी- ग्राम- उमरिया, तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.)

--- निगरानीकर्ता



विरुद्ध

- श्री विजयलाल ठाकुर
हा. 91-673 का
श्री 21 प्रकरण
- (1) धर्मेन्द्र ठाकुर पिता स्व. श्री रामचन्द्र ठाकुर
निवासी- उमरिया, तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.)
हालमुकाम- ब्रजविहार कालोनी, राऊ, इन्दौर (म.प्र.)
 - (2) मुकेश पिता देवी सिंह
 - (3) पवन सिंह पिता उमराव सिंह
 - (4) राजेन्द्र पिता उमराव सिंह
 - (5) मदन सिंह पिता उमराव सिंह
 - (6) पोप सिंह पिता ओमकार सिंह
 - (7) गोर्वधन पिता सिद्धनाथ
 - (8) पुनम पिता सिद्धनाथ
 - (9) सत्यनारायण पिता सिद्धनाथ
 - (10) रतनसिंह पिता नाथूसिंह
 - (11) लाड़ सिंह पिता नाथूसिंह
 - (12) मेहरबान सिंह पिता देवीसिंह
 - (13) रामकुंवर बाई बेवा देवासिंह

सभी निवासी- उमरिया खूर्द, तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.)

--- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

महोदय,



निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संयोगितागंज, इन्दौर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 21/अपील/15-16 में दिनांक 26/05/2017 को प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील जो कि करीबन समय-सीमा से 2 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने तथा मियाद के संबंध में

अविस्त 2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/1910

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> A3R</p> <p> अध्यक्ष</p>	